

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) 492002

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2013

क्रमांक.....**6499**...../21-अ/स्था./छ.ग./2013 राज्य शासन, इस विभाग के अधीनस्थ अतिरिक्त लोक कार्यालयों हेतु तृतीय श्रेणी सेवा में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-III सह कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 में एवं अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, पर अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान करती है :-


क.	अभ्यर्थियों का नाम	पिता का नाम	पदस्थापना
1.	श्री हेमंत रजक	श्री दशरथ रजक	अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
2.	श्री धर्मेंश कुमार ओझा	श्री विश्वनाथ ओझा	अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
3.	श्री कोमल प्रसाद देवांगन	श्री भोला प्रसाद देवांगन	अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, सक्ती, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
4.	श्री राजेश कुमार डिकसेना	श्री जमुना प्रसाद डिकसेना	अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
5.	श्री मनीष कुमार शुक्ला	श्री गिरीश कुमार शुक्ला	अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
6.	श्री संतोष सिंह	श्री मुनीब सिंह	अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

1. अभ्यर्थी की नियुक्ति उक्त पद पर 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर किया जाता है। इनकी वरिष्ठता नियमित वेतनमान में नियुक्ति दिनांक से निर्धारित की जावेगी।
2. उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थी मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
3. परीवीक्षा अवधि के दौरान आचरण उपयुक्त न पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
4. यदि उपर्युक्त अभ्यर्थी आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।
5. उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास प्रमाण तथा अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति एक सेट तथा 01-01 नग सेवा पुस्तिका एवं पासबुक कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करें।

Contd. ...2..

6. उपर्युक्त नियुक्ति, अन्य आवश्यक संवैधानिक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि अभ्यर्थी ने अभी तक जो जानकारी दी है वह असत्य पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(उमेश कुमार काटिया)
अतिरिक्त सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय

पृष्ठा. क.6500...../21-अ/स्था./छ.ग./2013

रायपुर, दिनांक - 29 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर, (छ.ग.),
 2. मान. विधि मंत्री जी के निज सचिव की ओर माननीय विधि मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
 3. प्रमुख सचिव, विधि के स्टाफ ऑफिसर की ओर माननीय प्रमुख सचिव विधि के अवलोकनार्थ,
 4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर (छ.ग.)
 5. अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, भानुप्रतापुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.),
 6. अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.),
 7. अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, सक्ती, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
 8. अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
 9. अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
 10. अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय, गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
 11. श्री हेमंत कुमार रजक पिता श्री दशरथ रजक, माहुरबंद नाका पारा, चर्च गली, कांकेर, तह. कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
 12. श्री धर्मे श कुमार ओझा पिता श्री विश्वनाथ ओझा, चित्रकोट रोड़, गायत्री मंदिर के पास, स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के बाजू, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)
 13. श्री कोमल प्रसाद देवांगन पिता श्री भोला प्रसाद देवांगन, रपटा चौक, हनुमान मंदिर के पास, चॉटीडीह, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
 14. श्री राजेश कुमार डिकसेना पिता श्री जमुना प्रसाद डिकसेना, ग्राम मुनगाडीह, पोस्ट बक्सही, तहसील पाली जिला कोरबा (छ.ग.)
 15. श्री मनीष कुमार शुक्ला पिता श्री गिरीश कुमार शुक्ला, राम मंदिर के पास, ब्राम्हणपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
 16. श्री संतोष सिंह पिता श्री मुनीब सिंह, सी.सी.आई. मांडर कालोनी, दुर्गा नगर, रायपुर जिला रायपुर(छ.ग.)
 17. व्यक्तिगत नस्ती/पे-बिल लिपिक, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अनिल सिन्हा)

अवर सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय